भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1859
दिनांक 30 जुलाई, 2026

उत्तर प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी सेवाओं का विस्तार

1859. **श्री उज्जवल रमण सिंहः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) सेवाओं का संवर्धन करने और इन्हें सुदृढ़ करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सीएनजी स्टेशन और पीएनजी कनेक्शन लगाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस अवसंरचना के कवरेज को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराना और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन स्थापित करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति और परिवहन क्षेत्र को सीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। 12/12ए सीजीडी निविदा दौर के पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने देश के पूरे मुख्य भूभाग, जिसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, को कवर करने वाले 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज़) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है।

पीएनजीआरबी ने उत्तर प्रदेश राज्य (ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित) के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए 43 जीएज़ (जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला 1 जीए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फैला 1 जीए, बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला 1 जीए और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला 1 जीए शामिल है) को सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया है। अधिकृत कंपनियों द्वारा पीएनजीआरबी द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण और अनुमोदित परियोजना योजना के अनुसार सीएनजी अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। 31.05.2026 तक, अधिकृत सीएनजी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश राज्य में 23,06,333 घरेलू सीएनजी कनेक्शन प्रदान किए हैं और 1,375 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

पीएनजीआरबी ने सीजीडी कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएनजीआरबी ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देना और गैर-बिल वाले ग्राहकों को सक्रिय करना है, जिसका समग्र लक्ष्य विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना है। इस पहल के तहत, सरकार और अधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक पीएनजी की कनेक्टिविटी का विस्तार;
ii. जुड़े हुए परिवारों को सक्रिय बिलिंग वाले उपभोक्ताओं में परिवर्तित करना;
iii. जागरूकता अभियान और उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम;
iv. राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करके वैधानिक अनुमतियों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करना; और
v. उपभोक्ता-हितैषी उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाएं और सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रचार योजनाएं शामिल हैं।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है, देरी होने पर स्वतः स्वीकृतियाँ प्रदान करने का प्रावधान है। इसके साथ ही सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। यह आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुँच संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है, जिसमें गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियाँ सुनिश्चित की जाती हैं, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाएँ दूर हो जाती हैं।

सीजीडी नेटवर्क की प्रगति की निगरानी सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। देरी या कमी होने की स्थिति में, कंपनियों को सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है। इसमें लागू नियमों के अनुसार प्रगति समीक्षा बैठकें या वैधानिक सुनवाई आयोजित करना शामिल है, ताकि चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और उनके अधिकृत सरकारी निकायों में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लक्ष्यों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार संबंधित राज्यों में सीजीडी नेटवर्क के विकास में सहयोग देने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत और बैठकें करती है।
